न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर ,

पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 51/20 दायर दिनांकः— 22—07—2020

1— सुखमन्दरसिह पुत्र श्री कौर सिह जाति जटसिख साकिन ढाबा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 आ0नं0 8900 9746 5212

————प्रार्थी

बनाम

1— आत्माराम पुत्र श्री आईदान जाति बावरी साकिन ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2—अंग्रेज सिह पुत्र श्री ज्ञान सिह
3— सुखवीरकौर पत्नी श्री सतनामसिह
4— जसवीरकौर पत्नी श्री औंकारसिह
} अकवाम जटसिख साकिनान ढाबा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5—राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :—

1— श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी
2— श्री धनवीर सिह हुन्दल अप्रार्थी सं0 1
3— श्री राजाराम भादू अप्रार्थी नं0 2 ता 4
4— पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ ।

—:— **निर्णय** —:— दिनांकः— 27—08—2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थीगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 व 4 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 19/295 मु0 नं0 4 के किला नं0 6/0.063 हे0 , 7/0.063 हे0, 14 ता 16/0.759 हे0, 17/1 में 0.127 हे0, 25/0.253 हे0 = 1.265 हे0 नहरी व पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 9/0.013 हे0, 10/0.013 हे0, 11 ता 13/0.759 हे0, 17/2 में 0.063 हे0, 18 ता 24/1.771 हे0 = 2.619 हे0 नहरी कुल 3.884 हे0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 तन्हा मालिक व काबिज है । अप्रार्थी नं0 1 के नाम से भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 14/0.240 हे0 ,

—— 2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

15/0.202 हे0, 16/0.253 हे0, 17/1 में 0.190 हे0, 25/0.253 हे0 = 1.138 हे0 नहरी , पं0 नं0 17/296 मु0 नं0 6 के किला नं0 2/2 में 0.126 हे0, 3/0.253 हे0 = 0.379 हे0 कुल 1.517 हे0 नहरी खातेदारी भूमी दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 को अपने रकबा वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 9/0.013 हे0, 10/0.013 हे0, 11 ता 13/0.759 हे0, 17/2 में 0.063 हे0, 18 ता 24/1.771 हे0 = 2.619 हे0 नहरी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/296 मु0 नं0 7 के किला नं0 5–6–15–16–25 में चली रही गै0मु0 रास्ता से होकर पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम में आवागमन लगभग 30–35 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में दक्षिण साईड में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है । प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 काफी लम्बे समय से स्वीकृत रास्ता से होते हुये अप्रार्थी नं0 1 के रकबा में से अपने खेत में आवागमन करते आ रहे है । प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/296 मु0 नं0 7 के किला नं0 5–6–15–16–25 में चली रही गै0मु0 रास्ता चल रहा है । लेकर पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में दक्षिण पासा में स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 को अपने खातेदारी रकबा वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 73/70 के पं0 नं0 19/295 मु0 नं0 4 में 1.265 हे0 नहरी व पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 में 2.619 हे0 नहरी कुल 3.884 हे0 नहरी खातेदारी भूमि में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 अप्रार्थी नं0 1 की भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में दक्षिण साईड 1½ बिस्वा यानि 0.019हे0 दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले में भूमि के बदले में अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी पं0 नं0 18/295 के किला नं0 17/2 में 1½ बिस्वा यानि 0.019हे0 भूमि दी गई है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है । इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है । प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 अप्रार्थी नं0 1 की भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0

—3 पर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में दक्षिण साईड में पूर्व से पश्चिम रास्ता से होकर अपने खेत में आवागमन करते आ रहे है । रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थी को आये दिन परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन करता है ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण नं0 1 की तरफ से अभिभाषक धनवीरसिह हुन्दल एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 4 की तरफ से श्री राजाराम भादू एडवोकेट न्यायालय में उपस्थित हुये । तथा अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया

इसके पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 व 4 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 19/295 मु0 नं0 4 के किला नं0 6/0.063 हे0 , 7/0. 063 हे0, 14 ता 16/0.759 हे0, 17/1 में 0.127 हे0, 25/0.253 हे0 = 1.265 हे0 नहरी व पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 9/0.013 हे0, 10/0.013 हे0, 11 ता 13/0.759 हे0, 17/2 में 0.063 हे0, 18 ता 24/1.771 हे0 = 2.619 हे0 नहरी कुल 3. 884 हे0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 तन्हा मालिक व काबिज है । अप्रार्थी नं0 1 के नाम से भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला न0 14/0. 240 हे0 , 15/0.202 हे0, 16/0.253 हे0, 17/1 में 0.190 हे0, 25/0.253 हे0 = 1. 138 हे0 नहरी , पं0 नं0 17/296 मु0 नं0 6 के किला नं0 2/2 में 0.126 हे0, 3/0. 253 हे0 = 0.379 हे0 कुल 1.517 हे0 नहरी खातेदारी भूमी दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 को अपने रकबा वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 9/0.013 हे0, 10/0.013 हे0, 11 ता 13/0.759 हे0, 17/2 में 0.063 हे0, 18 ता 24/1.771 हे0 = 2.619 हे0 नहरी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/296 मु0 नं0 7 के किला नं0 5–6–15–16–25 में चली रही गै0मु0 रास्ता से होकर पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम में आवागमन लगभग 30–35 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के [illegible] 25 में दक्षिण साईड में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नहीं है । अप्रार्थी [illegible] ने भी जबाब प्रार्थना–पत्र

—4 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर प्रार्थी के तथ्यो को स्वीकार करते हुये उक्त जैरवाद रकबा में रास्ता स्वीकृत किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की । इस लिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में 0.019 हे0 गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 4 की खातेदारी भूमि चक 18 एल जी डब्ल्यू बी पं0 नं0 18/295 के किला नं0 17/2 में 1½ बिस्वा यानि 0.019हे0 रकबा अप्रार्थी नं0 1 के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया । अप्रार्थी नं0 1 के अभिभाषक ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया । तथा अप्रार्थी नं0 2 ता 4 के अभिभाषक ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों की सहमति प्रकट की ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कास्तकार है। तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 4 की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई भी रास्ता नही है । जो अप्रार्थी नं0 1 की खातेदारी भूमि चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में 0.019 हे0 दक्षिण पासा पुर्व से पश्चिम आवागमन किया जा रहा है जिसकी सहमति अप्रार्थी नं0 1 ने अपने जबाब प्रार्थना–पत्र में दी गई है । उक्त गै0मु0 रास्ता की एवज में प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 2 ता 4 की खातेदारी भूमि चक 18 एल जी डब्ल्यू बी पं0 नं0 18/295 के किला नं0 17/2 में 1½ बिस्वा यानि 0.019हे0 रकबा अप्रार्थी नं0 1 को दिये जाने की सहमति प्रकट की है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं0 1 के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 25 में 0.019 हे0 कमलजन किया जाकर गै0 मु0 रास्ता (दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम) दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है । तथा प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 2 ता 4 के नाम भूमि वाके चक 18 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 18/295 मु0 नं0 5 के किला नं0 17/2 में 0.019 हे0 रकबा कलमजन कर अप्रार्थी नं0 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:47:22 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)